पोषाहार व सामान चोरी

उदयपुर, (कासं)। जिले के पाटिया थाना क्षेत्र मे स्थित तीन राजकीय विद्यालयों का ताला तोड़ कर चोर पोषाहार व सामान चुरा ले गए।

पाटिया थाना क्षेत्र में सक्रिय चोर गिरोह के बदमाशों ने विद्यालयों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। गत दिनों 30 एवं 31 जनवरी को चोर राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाबरी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नानका नला खेड़ाघाटी तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोगा फला खेड़ा घाटी के ताले तोड़ कर पोषाहार, दुध पाउडर एवं खेल सामगी तथा अन्य सामान चुरा ले गए।

उदयपुर में बाल विवाह मुक्त रथ का शुभारंभ

उदयपुर, (कासं)। बाल विवाह की रोकथाम को लेकर देश भर में चलाए जा रहे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिन के विशेष अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल अधिकारिता विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, गायत्री सेवा संस्थान एवं जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन के संयुक्त तत्वावधान में जन जागरूकता रथ यात्रा की शुरुआत की गई।

जिला कलेक्ट्री परिसर से रथ यात्रा को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुलदीप शर्मा, अतरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन दीपेन्द्र सिंह राठोड, राजस्थान बाल आयोग में सदस्य ध्रुव कुमार कव्या द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा ने कहा कि बाल विवाह हमारी समाज की बहुत बड़ी कुप्रथा के साथ-साथ कानूनन अपराध है एवं इसमें सम्मिलित सभी हितधारकों को सजा का प्रावधान है। राज्य बाल आयोग सदस्य कव्या ने कहा की बाल विवाह की रोकथाम न केवल प्रशासन की जिम्मेदारी बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। अतरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन राठोड ने कहा की इसके लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा एवं सरकार द्वारा संचालित इस 100 दिन के विशेष अभियान के माध्यम से आमजन को जागरूक कर बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को रोकना होगा। उपनिदेशक बाल अधिकारिता विभाग के.के. चंद्रवंशी ने बताया की विभाग द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्प लाइन जिसका नंबर 1098 पर भी बाल विवाह की सूचना हेतु सूचित किया जा सकता हैं। गायत्री सेवा संस्थान के कार्यक्रम समन्वयक नितिन पालीवाल ने बताया की रथ यात्रा जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रो तक जाकर बाल विवाह की रोकथाम को लेकर जागरूकता फैलाएगी।

ट्रेलर चोरी का मामला दर्ज

उदयपुर, (कासं)। डबोक थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पीडित का ट्रेलर चुरा ले जाने का प्रकरण दर्ज किया।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित विनोद पुत्र शंकरलाल टेलर निवासी आर्ची अपार्अमेंट पावर हाउस के सामने देबारी प्रतापनगर ने प्रेमसिंह देवड़ा निवासी आरटीओं रोड़ व उसके साथियों खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें उसने बताया कि मेरे चालक ने 10 अक्टूबर 25 को तुलसीदास जी की सराय पर स्थित पेट्रोल पंप से डीजल भरवाया था। लेकिन पैसे नहीं होने पर ट्रेलर मौके पर खड़ा कर चला आया। इसका पता चलने पर आरोपी पंप कर्मचारी को डीजल के पैसे दे कर ट्रेलर ले गया। कुछ समय बाद ट्रेलर लेने मालिक के आने पर इसका खुलासा हुआ।

कलश यात्रा निकली

डूंगरपुर। निकटवर्ती ठाकरडा गांव में मां अम्बे, ब्राह्मणी माताजी मंदिर ओर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत कलश यात्रा का आयोजन हुआ। कलश यात्रा प्रात: 10 बजे से प्रारंभ होकर 1100 कलश के साथ यात्रा पाटीदार चौराहे से सिद्धनाथ महादेव मंदिर पहुँची। कलश में गंगा जल ग्रहण कर यात्रा माँ माताजी मंदिर समापन हुआ।

प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हजारों की संख्या में भक्तों के आने की संभावना हैं। कार्यक्रम को लेकर भव्य स्तर पर तैयारियां की गई हैं। गाँव के प्रत्येक घर से आमजन में कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह हैं। ठाकरडा में ग्रामवासियों द्वारा सृष्टि में व्याप्त जीव मात्र के कल्याणार्थ माँ भवानी ब्रह्माणी माता, गणेश मूर्ति, भैरव मूर्ति मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजदंड एवं स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा व नवकुंडात्मक शतचंडी यज्ञ महोत्सव का आयोजन होगा। बुधवार को प्रायश्चित संकल्प, हेमाद्रि श्रवण, प्रायश्चित होम, दशविध स्नान, कर्म कुटीर, गंगाजल कलश यात्रा, मूर्ति शोभायात्रा व मूर्ति जलाधिवास हुआ। बुधवार को गणपत्यादि देवता पूजन, ब्राह्मण वर्णाचन, मंडप पूजन, भूशुद्धयादि महान्यास, पात्रासाधन पूर्वक देवी राजोपपचार पूजन, शतचंडी पाठ प्रारंभ, धन्याधिवास व सायं आरती होगी। कार्यक्रम में प्रथम दिवस में महाप्रसाद के भामाशाह राहुल मेघजी सपनिया, द्वितीय दिवस के विकास नगजी बबोत, तृतीय दिवस के हेमेंद्र मेघजी अणियोत व चतुर्थ दिवस में महाप्रसाद का आयोजन पाटीदार समाज द्वारा किया जाएगा। इस दौरान वागड चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र पाटीदार, देवकण पाटीदार, अनिल हीरालाल कनोत आदि मौजूद रहे।

बाइक व नकदी लूटी

उदयपुर, (कासं)। आपसी मनमुटाव के चलते बाइक सवार बदमाश पीडित के साथ मारपीट कर बाइक व नकदी लूट ले गए। जानकारी के अनुसार पीडित अनिल कुमार खराड़ी ने आरोपी नरेश कुमा र पवत्र भगवतीलाल निवासी बुझा हनुमानजी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। पीडित ने बताया कि 10 दिसंबर 25 को मैं व मेरा भाई बाइक से काम पर जाने के लिए निकले थे। जहां बीच रास्ते मे मिले।

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F.7( )B.PLAN/MISC/2025-26/241 **आम सूचना** दिनांक : 04/02/2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 14-10-2024 को विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां (Development Promotion & Control Regulations) हेतु जारी अधिसूचना एवं इसकी निरन्तरता में समय-समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों/अधिसूचनाओं आदि की अनुपालना मे निम्नलिखित प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् विचाराधीन है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम/योजना	खसरा संख्या / ब्लॉक संख्या	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	भूखण्ड / भूमि की स्थिति	भू-उपयोग परिवर्तन
1	श्री मनोहर सिंह पिता श्री जवान सिंह राजपुत	दक्षिण विस्तार योजना	ब्लॉक-डी	599	12800.00 वर्गफीट	दक्षिण विस्तार योजना के ब्लॉक-डी में प्रस्तावित 100 फीट सडक पर स्थित है।	आवासीय उपयोग से होटल (पर्यटन इकाई) प्रयोजनार्थ

उक्त प्रकरण के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्राधिकरण कार्यालय में इस सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिवस में किसी भी कार्य दिवस में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है। इस समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर भू-उपयोग परिवर्तन बाबत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द (राज.)

Email: np_ntd@yahoo.in Phone:- 02953-233526

क्रमांक /न.पा.नाथ./उप.एकी./2026/17414 दिनांक : 3.2.2026

- : आपत्ती सूचना :-

एतर्थ द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुद्वा/पट्टा शुद्वा के आधार पर भूखण्डों का उपविभाजन/एकीकरण का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर उपविभाजन/एकीकरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो 7 दिवस (कार्य दिवस) में नगरपालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदित सम्पत्ति कापता	पड़ौस का विवरण			
			पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	श्री दिपक वसीठा पिता श्री शंकरलाल वसीठा निवासी-मोहनगढ़ उपर का चौक नाथद्वारा	भूखण्ड संख्या-02 ए क्षैत्रफल- 1200 वर्गफिट, शान्ति नगर पावटी रोड, नाथद्वारा	भूखण्ड संख्या-3	भूखण्ड संख्या-2बी	10 फिट रोड व आगे बगीचा	30 फिट रोड
2.	श्रीमती शकिला पत्नि श्री अब्दुल कादर निवासी-गरिब नवाज कॉलोनी, नाथद्वारा	भूखण्ड संख्या-11 बी क्षैत्रफल-886 वर्गफिट, गिरिराज दर्शन गिरिराजपुरा, नाथद्वारा	30 फिट रोड	भूखण्ड संख्या-11ए	40 फिट रोड	भूखण्ड संख्या-12

आयुक्त, नगरपालिका नाथद्वारा

कार्यालय ग्राम पंचायत टेकण, पंचायत समिति लसाड़िया, जिला उदयपुर

क्रमांक:निविदा/2024-25/ग्र.प./327 दिनांक: 03.02.2026

खुली ई निविदा सूचना 2025-26

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत टेकण में निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत कुल 1 कार्य कुल राशि 8.00 लाख हेतु पंजीकृत संवेदको/फर्मो के माध्यम से ऑन लाईन ई निविदाएं आमंत्रित की जाती है। जिसकी ऑनलाईन अपलोड करने की अंतिम दिनांक 09.02.2026 है। विस्तृत विवरण/जानकारी www.sppp.rajasthan.gov.in व www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

UBN No. ZUD2526WSOB04348

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत-टेकण, पं.स.-लसाड़िया, जिला-सलुम्बर (राज.)

प्रशासक, ग्राम पंचायत-टेकण, पं.स.-लसाड़िया, जिला-सलुम्बर (राज.)

कार्यालय ग्राम पंचायत डुगां जी का गांव पंचायत समिति भीम

क्रमांक:ग्रापं/लेखा/ई-टेन्डर/2025-26/ दिनांक:- 02.02.2026

निविदा सूचना 01/2025-26

ग्राम पंचायत डुगां जी का गांव में निर्माण कार्यो को करवाने के लिऐ नियम 181 के तहत वाणिज्यिक कर विभाग में राजस्थान GST अधिनियम 2017/GST के अन्तर्गत पंजीकृत प्रतिठानों/संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। निविदा का पूर्ण विवरण, शर्ते www.sppp.rajasthan.gov.in एवं Dowanload कर प्राप्त की जा सकती है। साथ ही कार्यालय के नोटिस बोर्ड से कार्य दिवसों में देखी जा सकती हैं।

NIB Code- ZRR2526A0613
UBN Code- ZRR2526WSRC01006 to 1010

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत डुगां जी का गांव
पं.स. भीम

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजसमंद खण्ड द्वितीय (राज.)

खनिज भवन, आर.के. अस्पताल के सामने, भीलवाडा बाईपास रोड
ईमेल- me.rajsamand2@rajasthan.gov.in

क्रमांक: ख.अ./राज-II/सीसी.3/एम.एल.510/1994/2026ईRajkaj Ref No 20313793 दिनांक: यथा हस्ताक्षर

आम सूचना नोटिस

खनन पट्टा संख्या 510/1994 वास्ते खनिज मार्बल निकट ग्राम केरपुरा तहसील कुंवारिया जिला राजसमंद (राज.) श्री औंकार लाल अग्रवाल पिता श्री मूलराज अग्रवाल निवासी- रेल्वे स्टेशन कुंवारिया तहसीलए वं जिला राजसमन्द (राज.) के पक्ष में अवधि दिनांक 11.10.1985 से 10.10.2035 तक के लिये स्वीकृत है। चूंकि खनन पट्टाधारी श्री औंकार लाल अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 09.11.2025 को हो जाने से उक्त खननपट्टे का नामान्तरण श्रीमति पवन कुमारी अगरवाल पत्नि स्व. ओंकारलाल अग्रवाल निवासी-रेल्वे स्टेशन, कुंवारिया, खाखलिया खेडा जिला राजसमन्द के पक्ष में नामान्तरण के संबंध में किसी व्यक्ति को आपत्ति/परेशानी हो तो 15 दिवस में उपर अंकित अनुसार कार्यालय पता पर लिखित में आपत्ति दर्ज करावें।

आज्ञा से
खनि अभियन्ता, राजसमन्द खण्ड द्वितीय।

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दूरभाष सं-0294-2421255, 2420013, Helpline no. 0294-2426262 वेबसाईट- www.udaipurmc.org

क्रमांक:- राजस्व/25-26 दिनांक:-

आपत्ति आमन्त्रण

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "नगर निगम विवाह स्थल पंजीयन उप नियम 2010" (अधिनियम 2009 संख्या 18) धारा 340 के तहत नगर निगम् क्षैत्र में संचालित विवाह स्थल के संचालको द्वारा उप नियम के तहत विवाह स्थल का पंजीयन किये जाने हेतु नगर निगम में आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त विवाह स्थल पंजीयन के संबंध में किसी को आपत्ति है तो अपनी आपत्तियां मय दस्तावेजो के सूचना प्रकाशन से 15 दिवस में आवश्यक रूप से कार्यालय दिवस में समय पर पेश करे। समयावधि में प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई के पश्चात् पंजीयन कार्यवाही की जायेगी। समय पर आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर उन आपत्तियो पर विचार नहीं किया जाएगा।

1	वाटिका का नाम	गोवर्धन वाटिका
2	आवेदनकर्ता का नाम	श्री अरविन्द कुमार चौबीसा पिता श्री अम्बालाल चौबीसा
3	विवाह स्थल (वाटिका)	गोरेला, रामपुरा कोडियात रोड, उदयपुर
4	क्षैत्रफल (वर्गफीट)	53960

रजिस्ट्रेशन आवेदन निरस्त/स्वीकार करने का अधिकार नगर निगम, उदयपुर में निहित रहेगा।

अभिषेक खन्ना(IAS)
आयुक्त
नगर निगम उदयपुर

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दूरभाष सं-0294-2421255, 2420013, Helpline no. 0294-2426262 वेबसाईट- www.udaipurmc.org

क्रमांक:- राजस्व/25-26 दिनांक:-

आपत्ति आमन्त्रण

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "नगर निगम विवाह स्थल पंजीयन उप नियम 2010" (अधिनियम 2009 संख्या 18) धारा 340 के तहत नगर निगम् क्षैत्र में संचालित विवाह स्थल के संचालको द्वारा उप नियम के तहत विवाह स्थल का पंजीयन किये जाने हेतु नगर निगम में आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त विवाह स्थल पंजीयन के संबंध में किसी को आपत्ति है तो अपनी आपत्तियां मय दस्तावेजो के सूचना प्रकाशन से 15 दिवस में आवश्यक रूप से कार्यालय दिवस में समय पर पेश करे। समयावधि में प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई के पश्चात् पंजीयन कार्यवाही की जायेगी। समय पर आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर उन आपत्तियो पर विचार नहीं किया जाएगा।

1	वाटिका का नाम	चन्द्रिका गार्डन
2	आवेदनकर्ता का नाम	श्री योगेन्द्र कुमार चौबीसा पिता गोवर्धन लाल चौबीसा
3	विवाह स्थल (वाटिका)	गोरेला, रामपुरा कोडियात रोड, उदयपुर
4	क्षैत्रफल (वर्गफीट)	53404

रजिस्ट्रेशन आवेदन निरस्त/स्वीकार करने का अधिकार नगर निगम, उदयपुर में निहित रहेगा।

अभिषेक खन्ना(IAS)
आयुक्त
नगर निगम उदयपुर

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री शंकरलाल पिता स्व. भगवानलाल जी भोई व उसके पुत्र हेमराज भोई, निवासी- कालका माता मंदिर के पास, भीण्डर ने शंकरलाल भोई के खातेदारी की ग्राम- भीण्डर स्थित आ.नं. 5087 रकबा 0.0200 हेक्टेयर, आ.नं. 5088 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, आ.नं. 5091 रकबा 0.1600 हेक्टेयर एवं आ.नं. 5127 रकबा 0.0200 हेक्टेयर कुल रकबा 0.2500 हेक्टेयर कृषि भूमि पर बने दो कमरों सहित कृषि भूमि पर आ.चा.नं. 5090 से सिंचाई करने एवं आ.नं. 8752/5087, 5087 व 5088 में बने 12 फिट चौड़े रास्ते से आवागमन के अधिकार सहित को मेरे व्यवहारी नेमीचन्द पिता बालूलाल जी नागोरी (जैन), निवासी- भीण्डर से 5,00,000/- पांच लाख रूपया लेकर विक्रय करने का लिखित इकरानामा दिनांक 18.04.2023 को किया जिसका नेमीचन्द नागोरी ने न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, कानोड़ में संविदा की विनिर्दिष्ट पालना व स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, न्यायालय द्वारा उक्त भूमि को विक्रय करने पर स्थगन का आदेश हैं इसके उपरान्त भी शंकरलाल भोई व उसका पुत्र हेमराज उक्त भूमि को विक्रय करने को इच्छुक एवं तत्पर हैं जिसका कि उनको अधिकार नहीं हैं इसलिए कोई भी व्यक्ति नहीं खरीदे और न किसी प्रकार का भार ही डाले इसके उपरान्त भी यदि किसी ने ऐसा कुछ किया, करवाया तो उससे उत्पन्न संभावित परिणामों, उसकी क्षति का उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा और न्यायालय के आदेश की अवमानना का भागीदार होगा।

दिनांक : 04.02.2026

भगवतीलाल जैन, एडवोकेट
नि. कानोड़, मो.- 9829506019

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F.7( )B.PLAN/MISC/2025-26/223 **आम सूचना** दिनांक : 03/02/2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 14-10-2024 को विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां (Development Promotion & Control Regulations) हेतु जारी अधिसूचना एवं इसकी निरन्तरता में समय-समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों/अधिसूचनाओं आदि की अनुपालना मे निम्नलिखित प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् विचाराधीन है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम/योजना	खसरा संख्या / ब्लॉक संख्या	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	भूखण्ड / भूमि की स्थिति	भू-उपयोग परिवर्तन
1	श्री भंवरलाल पिता श्री उदयलाल दोषी	मादड़ी पाने रियान	553 से 617, 621 से 649, 659 से 667, 671, 674 से 752, 754 से 787, 791, 793 से 794, 798 से 805, 808, 811 से 832, 1848/776, 776/1838, 776/1840, 1859/779	715	4032.00 वर्गफीट	माली कॉलोनी से परशुराम चौराहे को जाने वाली 100 फीट सडक रिद्धी-सिद्धी पर स्टिल फर्निचर के सामने स्थित है।	आवासीय उपयोग से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ

उक्त प्रकरण के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्राधिकरण कार्यालय में इस सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिवस में किसी भी कार्य दिवस में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है। इस समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर भू-उपयोग परिवर्तन बाबत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

बीएन विवि व सुखाडिया विवि टीम अगले दौर में पहुंची

उदयपुर , (कासं)। विद्या प्रचारिणी सभा भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय की मेजबानी में पहली बार हो रहे चार दिवसीय वेस्ट जोन इंटर युनिवसिर्टी बास्केटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन की प्रतियोगिता का शुभारंभ कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. शिवसिंह सारंगदेवोत, मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह आगरिया, प्रबंध निदेशक मोहब्बत सिंह रूपाखेडी, प्रो. युवराज सिंह राठौड, नवल सिंह जुड, महेन्द्र पाटिया, महेन्द्र सिंह पाखंड, करण सिंह उमरी, प्रताप सिंह चैहान, मान सिंह चुण्डावत, अरविंद सिंह भाटी, दिलिप सिंह राठौड, भवानीपाल सिंह, गजेन्द्र सिंह शक्तावत, चन्द्रवीर सिंह करेलिया, महेश चन्द्र सिंह रूपनगर, प्रताप सिंह भाटी ने खिलाडियों का परिचय प्राप्त कर किया। गुरूवार को क्वार्टर फाईनल के लिए कडे मुकाबले देखने को मिलेंगे।

इस अवसर पर आयोजन सचिव डॉ. हितेश चन्द्र रावल ने बताया कि मैच बीएन विश्वविद्यालय के इंडोर एवं आउटडोर खेल मैदान के अलावा, फतेह सीनियर विद्यालय एवं एमबी कॉलेज के अटल बिहारी वाजपेयी इनडोर स्टेडियम में कराये जा रहे है।

इस अवसर पर सचिव डॉ. अभिमन्यु सिंह ने बताया कि टुर्नामेंट के दूसरे दिन हुए कड़े मुकाबले में मेजबान टीम भूपाल नोबल्स विवि ने जेईसीआरसी विवि जयपुर को 30, सुखाड़िया विवि ने पूर्णिमा विवि जयपुर को 34 , नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन ने गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी को 17, विवेकानंद ग्लोबल विवि ने भावनगर विवि को 16, करनावती यूनिवर्सिटी गुजरात ने मेवाड़ विवि को 11, सरदार पटेल विवि ने एग्रीकल्चर विवि सरदार को 28, जीवाजी विवि ग्वालियर ने रानी अवंतीबाल लोधी विवि सागर को 28, बिट्स पिलानी ने सेज यूनिवर्सिटी इंदौर को 33, शिवाजी विवि कोल्हापुर ने यूईएम विवि को 8, जय नारायण व्यास विवि ने टेक्निकल विवि बीकानेर को 33, एमडीएस विवि ने वीर नर्मदा साउथ गुजरात विवि को 6, एसआरटीएम विवि नांदेड ने अपेक्स विवि जयपुर को 34, अहिल्या देवी होलकर विवि सोलापुर ने राज ऋषि विवि अलवर को 13, शिवाजी राव विवि बडौदा ने एडी पाटील यूनिवर्सिटी पुणे को 30, एलएनआईपीइ विवि ग्वालियर ने देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर को 21, गोवा विवि ने आरटीएम यूनिवर्सिटी नागपुर को 11, मराठावादा विवि छत्रपति संभाजी नागपुर महाराष्ट्र ने निरमा विवि अहमदाबाद को 39, अहमदाबाद विवि ने एमपीयूएटी विवि को 11, सोमैया विद्या विहार विवि मुंबई ने माधव इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस विवि ग्वालियर को 22, डॉक्टर हरि सिंह गौर विवि ने जेएसपीम विवि पुणे को 12 रन से हरा अगले दौर की प्रतियोगिता में अपनी जगह सुरक्षित की।

ठोस व प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों की होगी पालना

उदयपुर, (कासं)। भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण को सुदृढ करने की दिशा में 8 अप्रैल 2016 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 अधिसूचना जारी की गई थी। इन नियमों का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक, पर्यावरण अनुकूल एवं व्यवस्थित प्रबंधन सुनिश्चित करना था। बनाए गए नियमों में धारा 4 में प्रत्येक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था, जिनकी पालना प्रत्येक नागरिक, संस्था एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए अनिवार्य है लेकिन धरातल पर कही कमी नजर आ रही है इसी को लेकर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने स्पष्ट किया है कि शहर में सडक पर कचरा फैला कर गंदगी करने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, परिवार, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, कार्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, विवाह स्थल, मॉल, बहुमंजिला परिसर अथवा स्ट्रीट वेंडर यदि किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है, तो वह उसका स्वयं उत्तरदायी होगा एवं नियमों के अनुसार अपशिष्ट का पृथक्करण, भंडारण एवं निस्तारण सुनिश्चित करेगा। कचरा उत्पन्न करने वालों के स्तर पर ही गिले एवं सूखे कचरे का पृथक्करण अनिवार्य किया गया है। हाला कि नियमों में कचरे को कई श्रेणियों में विभक्त किया गया है और उसका निस्तारण कैसे किया जाना है यह भी स्पष्ट किया गया।

कार्यों में लापरवाही व अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं : कलक्टर

बांसवाड़ा, (निसं)। जिला कलक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट वीसी कक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिले से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई।

जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई, संपर्क पोर्टल, सतर्कता, सीएमओ एवं पीजी पोर्टल पर प्राप्त परिवादों के निस्तारण, औसत निस्तारण समय, संतुष्टि प्रतिशत तथा 15 दिवस से अधिक लंबित प्रकरणों पर चर्चा की। बैठक में चिकित्सा उपकेन्द्रों के लिए लंबित भूमि आवंटन की समीक्षा, लाडो प्रोत्साहन योजना, राजकीय विद्यालयों के मरम्मत कार्यों की समीक्षा, जेजेएम-लंबित बिजली कनेक्शन, जेजेएम-लंबित भूमि आवंटन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्थिति, पं. दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति ग्राम योजना की प्रगति, क्षतिग्रस्त विद्युत पोल, लाइन एवं विद्युत आपूर्ति, उच्च जोखिम विद्युत बिंदु, पीएम सूर्यघर योजना, सड़को दुर्घटनाओं, डूबने, आकाशीय बिजली गिरने या बरसात में मकान गिरने से मृत्यु, घायल होने की स्थिति में मुआवजा वितरण एवं क्षतिग्रस्त मकानों का आंकलन, बजट घोषणाओं की समीक्षा, भूमि अवाप्ति प्रकरणों की समीक्षा, पालनहार वार्षिक सत्यापन, भूमि आवंटन के लंबित प्रकरण, रोड रिपेयर की प्रगति की समीक्षा, काली बाई भील उडान योजना आदि बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी।

राष्ट्रीय सम्मेलन में डॉ. व्यास का संबोधन

उदयपुर , (कासं)। हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के रेडियोलॉजी सम्मेलन आईआरआईए-2026 में पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के रेडियो-डायग्नोसिस विभाग के एच.ओ.डी. डॉ. कपिल व्यास ने डिजनरेटिव विषय पर विशेष व्याख्यान दिया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देशभर से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों और रेडियोलॉजिस्ट ने भाग लिया।

सम्मेलन में अपने व्याख्यान में डॉ. व्यास ने बताया कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, हड्डियों (स्पाइन) में स्वाभाविक रूप से अपक्षयी परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में डिस्क का घिसना, नसों पर दबाव, फैसेट जॉइंट्स में बदलाव तथा स्पाइनल कैनाल का संकुचित होना प्रमुख रूप से शामिल होता है। डॉ. व्यास ने एमआरआई जांच के माध्यम से इन परिवर्तनों की सही ढंग से पहचानने और रिपोर्ट करने की महत्ता पर विशेष जोर दिया।

यदि एमआरआई में दिखाई देने वाले इन बदलावों को सही तरीके से समझा जाए तो मरीज की बीमारी का सही कारण स्पष्ट किया जा सकता है और उचित उपचार योजना बनाई जा सकती है।

उन्होंने यह भी बताया कि कई बार गलत या अधूरी रिपोर्टिंग के कारण मरीज को अनावश्यक सर्जरी की सलाह दे दी जाती है, जबकि सही व्याख्या से दवाइयों, फिजियोथेरेपी या अन्य गैर-सर्जिकल उपचार से ही लाभ मिल सकता है।

जमीन हड़पी

उदयपुर,(कासं)। बडगांव थाना पुलिस ने पीडित की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ विक्रय इकरार करने के बावजूद जमीन अपनी पत्नी के नाम करने का प्रकरण दर्ज किया। जानकारी के अनुसार मैसर्स उदयसागर एसोसिएट प्रा.लि. के सिद्धार्थ अग्रवाल ने आरोपी भंवरसिंह चौहान निवासी पालडी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें उसने बताया कि वर्ष 2017 में मैने आरोपी से टाईगर हिल क्षैत्र में जमीन खरीदी थी। जिसका भुगतान कर इकरार किया।

सुनिश्चित कीजिए उनकी मुस्कुराहट
प्लस सुरक्षा
एलआईसी का
प्रोटेक्शन प्लस
पेश है
विशेषताएँ:
आपकी आवश्यकताओं के अनुसार अनेक निवेश फंड विकल्प उपलब्ध
अपनी जोखिम बीमा-सुरक्षा बढ़ाएँ, टॉप अप प्रीमियम भुगतानों के साथ
आयु एवं अवधि के अनुसार उच्च बीमा राशि चुनने का विकल्प
5 वर्ष बाद आंशिक निकासी की अनुमति
प्लान सं.: 886 यूआईएन: 512L361V01
एक नॉन-पार, लिंक्ड, जीवन, व्यक्तिगत, बचत प्लान
ऑनलाइन भी उपलब्ध
हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090
कहिए 'Hi'
अधिक जानकारी के लिए आप अपने बीमा एजेन्ट/नज़दीकी एलआईसी शाखा से संपर्क करें
विज़िट करें: www.licindia.in
डाउनलोड करें एलआईसी मोबाइल ऐप LIC digital
विज़िट करें: licindia.in
कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827
हमें यहाँ फॉलो करें: LIC India Forever
IRDAI Regn No.: 512
LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
हर पल आपके साथ
LIC/P1/2025-26 /20/Hin
धोखेधड़ी वाले फ़ोन कॉल्स तथा झूठे/भ्रामक प्रस्तावों से सावधान रहें. आईआरडीएआई या इनके कर्मचारी बीमा व्यवसाय जैसे कि बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बोनस की घोषणा या प